

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)



ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष: 2762804 / 2763672-75X142 फैक्स: 91-135-2768867
Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun- 248001, Telephone : 2762804/ 2763672-75X142 Fax :+91-135-2768867
Email : dgmsa2md@gmail.com & yinavgupta@uttarakhandpower.org Mobile : +91-9837013397

पत्रांक 2390 / प्र०नि० / उपाकालि / I-20

दिनांक : 30 / 3 / 2011

BY SPEED POST/VIA E-MAIL

महाप्रबन्धक (वितरण),
उपाकालि,
गढ़वाल/ कुमाऊं परिक्षेत्र,
देहरादून/ हल्द्वानी।

विषय:- मुख्यालय द्वारा निर्गत अनुदेशों से सम्बन्धित परिक्षेत्र की संकलित अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उपमहाप्रबन्धक (मुख्यालय एवं कारपोरेट नियोजन तथा अनुश्रवण) प्रबन्ध निदेशालय उपाकालि देहरादून के आपको पृष्ठांकित पत्रांक 1007/उ०महा०प्र०(मु० एवं का०नि०अनु०)/उपाकालि/I-20 दिनांक 29/10/2010 (प्रतिलिपि संलग्नक सहित संलग्न) के तारतम्य में प्रबन्ध निदेशक उपाकालि देहरादून के पत्र सं० 2968/प्र०नि०/उपाकालि/आई-20 दिनांक 1.5.2009 द्वारा निर्गत अनुदेशों से सम्बन्धित अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत कार्यात्मक मण्डलों की **संकलित अनुपालन आख्या निम्नांकित 5 संलग्न प्रपत्रों में माहवार वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 (मार्च 2011 तक)** तथा इनके कार्यान्वयन से मण्डलवार विद्युत वितरण प्रणाली एवं राजस्व वसूली आदि के परिणाम **4 अप्रैल 2011 तक** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रबन्ध निदेशक महोदय को आपके परिक्षेत्र की उपलब्धियों से अवगत कराया जा सके।

इस सम्बन्ध में मुझे पुनः कॉरपोरेट मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी में आपके संज्ञानार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित करने का निर्देश हुआ है जो परिक्षेत्र स्तर से निम्नवत् अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किये जा रहे हैं:-

- निर्देश सं० 5/2007-08 पत्रांक 1016 दि० 20.9.2007 के सापेक्ष अधिकारियों की अनुपालन/अनुश्रवण आख्या प्रपत्र - 33/11 विद्युत उपस्थानों का निरीक्षण :
लक्ष्य : 1) महाप्रबन्धक (वितरण) द्वारा माह में न्यूनतम 3 विद्युत उपस्थानों का निरीक्षण।
2) उपमहाप्रबन्धक (वितरण) द्वारा माह में न्यूनतम 3 विद्युत उपस्थानों का निरीक्षण।
- निर्देश सं० 7/2007-08 पत्रांक 184 दि० 23.1.2008 (33KV & 11 KV Line Patrolling for Preventive Maintenance) :
अवर अभियन्ता (Section-wise)-
11 के०वी० Line Patrolling twice in a year -pre & post monsoon period
उपखण्ड अधिकारी (Subdivision-wise)-
1) 33 के०वी० Line Patrolling twice in a year -pre & post monsoon period
2) 11 के०वी० Line Patrolling once in a year -pre & post monsoon period
- पत्रांक 1546 दि० 13.6.2008
एच०टी० संयोजनों के आवेदन पर निर्देशानुसार बिन्दुवार (समयबद्ध मार्गदर्शी सिद्धांतानुसार) औद्योगिक विद्युत भार स्वीकृत के सम्बन्धी निर्देशों की अनुपालन आख्या।
- निर्देश सं० 3/2008-09 पत्रांक 2177 दि० 26.3.2009
विद्युत कार्यों के सापेक्ष प्राक्कलनों की जाँच का लक्ष्य : महाप्रबन्धक (वितरण)/उपमहाप्रबन्धक विद्युत वितरण मण्डल द्वारा माह में न्यूनतम 2 विद्युत कार्यों के प्राक्कलन की जाँच आख्या।
- निर्देश सं० 5/2008-09 पत्रांक 2300 दि० 1.4.2009 सपटित पत्रांक 2653 दि० 18.4.2009 द्वारा उपभोक्ताओं के संयोजनों की मासिक जाँच/अध्ययन की अनुपालन आख्या का लक्ष्य निम्नानुसार :
महाप्रबन्धक 10 संयोजन (50 के०वी०ए० से अधिक 3 उपभोक्ताओं)
उप-महाप्रबन्धक 15 संयोजन (100 के०वी०ए० से अधिक 3 उपभोक्ताओं)
अधिसासी अभियन्ता 20 संयोजन (50 एच०पी० से अधिक 10 उपभोक्ताओं)
उपखण्ड अधिकारी 25 संयोजन (25 एच०पी० से 500 के०वी०ए० 10 उपभोक्ताओं)
अवर अभियन्ता 25 संयोजन (25 एच०पी० तक के उपभोक्ताओं)

उपरोक्त के अतिरिक्त 1) संयोजित विद्युत भार 500 के0वी0ए0 से 1000 के0वी0ए0तक शत् प्रतिशत् उपभोक्ताओं की अधिशासी अभियन्ता (वितरण) एवं अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) द्वारा jointly जाँच/अध्ययन एवं 2 उपभोक्ताओं की प्रति माह जाँच तथा समस्त उपभोक्ताओं की जाँच प्रतिवर्ष।

2) संयोजित विद्युत भार 1000 के0वी0ए0 से अधिक का अधिशासी अभियन्ता (वितरण) एवं अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) द्वारा जाँच/अध्ययन उपमहाप्रबन्धक (वितरण) की उपस्थिति में 2 उपभोक्ताओं की प्रति माह एवं समस्त उपभोक्ताओं की जाँच प्रतिवर्ष।

6. मासिक लेखों के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक उपाकालि के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1107/प्र0नि0/उपाकालि/भा0ले0 दिनांक 27/8/2010 की प्रतिलिपि सहसमय के अन्तर्गत आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सूचनीय है कि मुख्यालय द्वारा समस्त निर्गत अनुदेशों को कॉरपोरेशन की Official Website: www.upcl.org एवं www.uttarakhandpower.org पर Corporate Instructions Series के तहत आपकी सुविधा हेतु Upload किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि आपके विभागीय ई-मेल आई0डी0 (E-mail ID) उक्त सम्बोधित वेबसाइट पर सम्पर्क विवरण में उपलब्ध हैं जिनके पासवर्ड (Password) मुख्यालय के आई0टी0 विभाग में yishalrana@uttarakhandpower.org (9412998578) & komal@uttarakhandpower.org (9927987714) से प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे आपसे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 1 अप्रैल 2011 से आगे कॉरपोरेट मुख्यालय को सूचना विभागीय ई-मेल द्वारा एवं हिन्दी में Kruti Dev 016/010 एवं अंग्रेजी में Times New Roman में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त के परिपेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरी को आपको यह भी सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उक्त निर्देशों की अवहेलना (Non-compliance) की स्थिति में दोषी अधिकारी/अधिकारिक के वार्षिक गोपनीय आख्या को लिखते समय प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा यह संज्ञान में लिया जाएगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

संलग्नक : यथोपरि।

(विनय गुप्ता)

उपमहाप्रबन्धक एवं

विशेष सहायक प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित :

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक उपाकालि देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक (परियोजना), उपाकालि, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्य) उपाकालि, देहरादून।
4. उप-महाप्रबन्धक (स0) निदेशक (परिचालन) उपाकालि देहरादून।
5. उप-महाप्रबन्धक शहरी विद्युत वितरण मंडल, देहरादून/विद्युत वितरण मंडल (ग्रामीण)देहरादून/ विद्युत वितरण मंडल रुडकी/हरिद्वार/श्रीनगर/रुद्रपुर/हल्द्वानी/रानीखेत को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने मण्डल से सम्बन्धित सूचना (वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11-मार्च 2011 तक) अपनी अनुपालन आख्या एवं कृत कार्यवाही से उनके परिणाम सहित महाप्रबन्धक (वितरण) द्वारा कॉरपोरेट मुख्यालय को अनिवार्य रूप से **4-4-2011 तक** प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) उपाकालि देहरादून को सूचनार्थ।

**निर्देश सं० 5 (पत्र सं० 1016/सी०जी०एम०/उपाकालि/आई-7 दिनांक 20.09.07) के सापेक्ष अधिकारियों की
अनुपालन/अनुश्रवण आख्या प्रपत्र
33/11 के०वी०उपस्थानों का निरीक्षण**

माह..... /

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	निरीक्षण किये गये 33/11 के०वी० उपस्थानों का नाम	निरीक्षण आख्या में उल्लिखित गंभीर अनियमिताचार्यें/कमियां/त्रुटियों का संक्षिप्त विवरण।	क्या मुख्यालय निर्देश सं० 7 के अनुपालन में वांछित अभिलेख/विवरण/सूचनायें /पंजिकायें निरीक्षित उपस्थान पर उपलब्ध हैं तथा उन पर निर्देशानुसार प्रवृष्टियां समय पर अंकित की जा रही हैं\ यदि नहीं, जो क्या कार्यवाही की गयी।
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

नोट :- निरीक्षण आख्या संलग्न की जाय।

**निर्देश सं० 7 (पत्र सं० 184/निदेशक(परिचालन)/उपाकालि/आई-7 दिनांक 23.01.08) पर अवर अभियन्ता/अपखंड अधिकारी
की अनुपालन आख्या प्रपत्र
पोषकों की Patrolling का विवरण**

माह.....

क्र०सं०	अवर अभियन्ता/ उपखण्ड अधिकारी का नाम	पोषक का नाम एवं विभव	उपस्थान का नाम जहां से पोषक निकलता है।	Patrol की गयी लाइन की लम्बाई	पाई गई मुख्य कमियां	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7

**निर्देश सं० : 5/2009-10 (पत्र सं० 2300/प्र०नि०/उपाकालि/आई-20 दिनांक 01.04.09) उपभोक्ताओं के संयोजनों की
मासिक जांच /अध्ययन के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रपत्र
उपभोक्ताओं के संयोजनों की मासिक जांच /अध्ययन का विवरण**

माह.....

क्र०सं०	जांचकर्ता अधिकारी/ अधिकारिक का नाम	जांचे/अध्ययन किये गये संयोजनों की संख्या	अनियमित पाये गये संयोजनों की संख्या	गम्भीर प्रकृति के अनियमित संयोजनों का विवरण	गंभीर अनियमितता का विवरण(संक्षेप में)	अनियमितता के लिये दोषी अधिकारिक /अधिकारी का नाम।
1	2	3	4	5	6	7